राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3093/2024

रूपनारायण यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, कुचामन डीडवाना।
4. श्री ओमप्रकाश, कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार, दिनदारपुरा, तहसील मौलासर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2024

आदेश की दिनांक : 15.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पीलवा, जिला डीडवाना कुचामन में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.07.1990 को पटवारी के पद पर हुई थी और उसे पटवार मण्डल अकाडली तहसील पंचपदरा, जिला बाडमेर पदस्थापित किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार परबतसर,

जिला डीडवाना कुचामन किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु दिनांक 30.06.2026 को पूर्ण होने जा रही है और इस प्रकार सेवानिवृत्ति में मात्र 20 माह का समय शेष है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में पुष्पा मेहता बनाम राज्य व अन्य में यह आदेश पारित किया है कि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष का समय शेष है तो उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिये। आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था और 13 माह की अल्पावधि में ही उसे परबतसर डीडवाना कुचामन स्थानांतरित किया गया, जो स्थानांतरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी जो शिक्षा विभाग में कार्यरत है। उनका भी पदस्थापन फरासिया किशनगढ अजमेर में है और अपीलार्थी के स्थानांतरण से उसकी पारिवारिक परेशानियां उत्पन्न होंगी। यदि पति–पत्नी दोनो राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर किया जाना चाहिये। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण, स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2024 को अपास्त कर अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पीलवा, जिला डीडवाना कुचामन में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति

एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य